

“बाल-सुधार गृहों में रहने वाले बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन”

मनीष कुमार मिश्र

शोधार्थी

शिक्षा विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

(सम्बद्ध एम. जे. पी. रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली)

प्रो० आर०पी० मिश्र

शोध निदेशक

पूर्व विभागध्यक्ष, शिक्षा विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

(सम्बद्ध एम. जे. पी. रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली)

सारांश:-

प्रस्तुत शोध पत्र बाल सुधार गृहों में रहने वाले बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समकालीन विषय पर आधारित है, जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान के समन्वित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक बालक का यह मौलिक अधिकार है कि सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु उत्तम सुविधायें प्राप्त हो। बाल अपराधियों द्वारा किये जाने वाले अपराधिक कृत्य इस प्रकार हैं, जैसे -घर से भाग जाना, दुसरो को चोंट पहुचाना, गलत लोगो की संगति मे रहना, स्कूल से भाग जाना, शराब का सेवन करना, तम्बाकू , सिगरेट, आदि का प्रयोग करना जुआ घरो एवं वेश्यालयों में जाना, असामाजिक आचरण करना, अनैतिक यौनाचर में संलग्न रहना, चोरी करना, डकैती करना, दुष्कर्म करना, आदि। भारत में सामान्य रूप से छोटे अपराध और विशेषरूप में जघन्य अपराध बच्चों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे है दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह के सभी अपराध 18 साल को आयु से कम के बच्चों द्वारा किये जा रहे है। इस प्रकार बाल अपराध में बालको के असामाजिक व्यवहारो को लिया जाता है अथवा बालको के ऐसे व्यवहार जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते है, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। राबिन्सन के अनुसार-आवारागर्दी, भीख मांगना, इधर-उधर घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है। सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति सबसे बड़ा कारण है, जो बच्चों को अपराधिक गतिविधियों में शामिल हाने के लिए मजबूर करती है इसके अलावा आजकल मीडिया की भूमिका भी किशोरो के सृजनात्मक क्षमता पर साकारात्मक प्रभाव के स्थान पर नाकारात्मक प्रभाव अधिक डालती है। इस शोध में गोरखपुर मण्डल के बाल सुधार गृहों में रहने वाले 210 बाल-अपराधियों (110 नगरीय एवं 100 ग्रामीण) को नमूने के रूप में लिया गया तथा प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह किया गया। अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप नगरीय एवं ग्रामीण दोनों वर्गों के बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य संबंध का परीक्षण किया गया। परिकल्पनाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि नगरीय बाल अपराधियों में सहसम्बन्ध का मान 0.42 तथा ग्रामीण बाल अपराधियों में 0.36 प्राप्त हुआ, जो दोनों ही स्थितियों में 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। यह परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दोनों चरों के मध्य धनात्मक एवं महत्वपूर्ण सहसम्बन्ध विद्यमान है, अर्थात् जिन बालकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती है, उनकी सृजनात्मक क्षमता भी अधिक सकारात्मक होती है। अध्ययन के निष्कर्ष यह सिद्ध करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और यही उनके पुनर्वास की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः यह आवश्यक है कि बाल सुधार गृह के शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए तथा उनके लिए उपयुक्त, व्यावहारिक एवं प्रेरणादायक व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ। इस प्रकार, यह अध्ययन न केवल बाल-अपराध की समस्या को समझाने में सहायक है, बल्कि एक समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

मुख्य शब्द:- बाल-सुधार गृह, बाल अपराधी, सृजनात्मक क्षमता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति

प्रस्तावना:-

बाल-सुधार गृहों में रहने वाले बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य संबंध का अध्ययन समकालीन शैक्षिक एवं सामाजिक अनुसंधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र है। वर्तमान समय में बाल अपराध केवल एक कानूनी या अपराध संबंधी समस्या नहीं रह गई है बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक परिघटना के रूप में उभरकर सामने आई है। बालक समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं परंतु जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों, अभाव, उपेक्षा, असमानता, पारिवारिक विघटन, अशिक्षा तथा सामाजिक असुरक्षा के कारण अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को बाधित करता है बल्कि समाज के संतुलित विकास के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करता है। ऐसे बालकों को दंडित करने के बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई है जहाँ उन्हें पुनर्वास, शिक्षा, नैतिक मार्गदर्शन एवं सामाजिक पुनर्स्थापन के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

यदि हम बाल-अपराधियों की विशेषता पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि इनकी शारीरिक तथा संवेगात्मक दशा निम्न श्रेणी की होती है। ये शिक्षा कार्य में पिछड़े हुए होते हैं तथा इन्हें प्रचलित विद्यालय पसन्द नहीं आते। बाल-अपराधियों के व्यक्तित्व की विशेषता बताते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये क्रोधी, झगड़ालु, अविश्वासी, स्वार्थी, बहिर्मुखी, विनाशकारी और अलौकिक होते हैं। निर्धनता बाल-अपराधी का प्रमुख कारण है जो न केवल बाल-अपराध को जन्म देती है, बल्कि ऐसी अनेकों परिस्थितियाँ पैदा करती है जो बालक को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। कितने ही ऐसे बालक प्रायः देखे व सुने जाते हैं जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते। फलस्वरूप अन्त में उन्हें चोरी और झूठ की शरण लेनी पड़ती है। बर्ट महोदय ने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला है कि आधे से अधिक अपराधी बालक निर्धन परिवार के होते हैं।

प्रत्येक बालक के कुछ न कुछ मित्र अवश्य होते हैं, जिनका उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वे मित्र अच्छे हैं तो वह अच्छी आदतें सीखता है और मित्र बुरे हैं तो बुरी आदतें सीखता है। बुरे मित्रों के साथ बालक शीघ्र ही दूसरों को नोचना-पीटना, गाली-गलौज, बगीचे में प्रवेश कर फूल तोड़ना, धूम्रपान करना, यौन अपराध करने लगना इत्यादि दुर्गुण सीख जाता है। बर्ट महोदय ने 18 प्रतिशत और हीली महोदय ने 34 प्रतिशत बाल-अपराधों का कारण बुरी संगति बताया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारक किसी-न-किसी रूप में बाल-अपराध को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के वर्तमान युग में नित्य नये आविष्कार हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश आविष्कारों के पीछे जहाँ वैज्ञानिकों का अथक प्रयास छिपा है, वहीं उनकी सृजनात्मकता का भी कम योगदान नहीं है। पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि ही सृजनात्मक होते हैं, परन्तु अब यह माना जाने लगा है कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों में सृजनात्मकता होती है। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

विश्व के क्रियाकलाप एक निश्चित ढर्रे पर चलते रहते हैं, परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जो कुछ सर्वथा किसी नवीन कर गुजरते हैं। विचारों में सामान्यता से भिन्नता होना, सर्वथा किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, जीवन में एक अभिनव व्यवहार करना, व्यक्ति को सामान्य से ऊपर कर देते हैं। सृजनात्मकता का सम्बन्ध इसी प्रकार की समझ, सोच और व्यवहार से है। विद्यालय में भी अनेकों में कोई एक बालक ऐसा निकल जाता है जो अपनी प्रकृति से सृजनात्मक होता है। प्रायः यह देखा गया है कि यदि माता-पिता या पारिवारिक जन एक समुचित सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति की व्यवस्था करे, जिनमें बालक को जिज्ञासा व्यक्त करने की छूट हो तथा जिज्ञासा समाधान की व्यवस्था हो तो बालक में सृजनात्मकता की योग्यता अधिक पायी जाती है। यह भी देखा गया है कि जिन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है या जो परिवार अभावग्रस्त होते हैं, बालकों में सृजनात्मकता का विकास कम होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक दशा में यह सत्य ही हो। क्योंकि कहीं-कहीं दूसरे अपवाद भी मिलते हैं, जैसे- प्रेमचन्द, कबीरदास, कार्लमार्क्स आदि जिनका सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परन्तु उनकी सृजनात्मक क्षमता बहुत उच्च कोटि की थी।

समग्र रूप से, यह कहा जा सकता है कि बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य गहरा एवं बहुआयामी संबंध है। इस संबंध को समझना आवश्यक है, ताकि बाल सुधार गृहों में रहने वाले बालकों के लिए

प्रभावी व्यावसायिक शिक्षाएँ कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम विकसित किए जा सकें। यह अध्ययन न केवल बाल अपराध की समस्या के समाधान में सहायक होगा, बल्कि एक समावेशी, न्यायसंगत एवं संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जहाँ प्रत्येक बालक को उसके जीवन को सुधारने एवं आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो सके।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व:-

बाल-सुधार गृहों में रहने वाले बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन विषय वर्तमान शिक्षा, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की जाती है क्योंकि बाल-अपराध आज केवल कानूनी समस्या नहीं रह गया है बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, पारिवारिक तथा शैक्षिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। बाल सुधार गृहों में रहने वाले बाल अपराधी प्रायः ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा सामाजिक उपेक्षा जैसी समस्याएँ विद्यमान होती हैं। इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव उनके व्यक्तित्व, व्यवहार तथा सृजनात्मक क्षमता पर पड़ता है इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इन बालकों की सृजनात्मक क्षमता किस प्रकार उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति से प्रभावित होती है ताकि उनके पुनर्वास एवं सुधार के लिए प्रभावी योजनाएँ बनाई जा सकें।

बाल-अपराध अक्सर उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से आते हैं। यदि इस संबंध को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाता है, तो यह सरकार एवं समाज के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा कि वे इन वर्गों के उत्थान हेतु ठोस कदम उठाएँ। सृजनात्मकता के माध्यम से इन बच्चों को सही दिशा देकर न केवल उनके जीवन को सुधारा जा सकता है बल्कि समाज में अपराध की दर को भी कम किया जा सकता है। यदि यह ज्ञात हो जाता है कि कौन-कौन से सामाजिक-आर्थिक कारक बालकों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं और उनकी सृजनात्मक क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर ही ऐसे कारकों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इससे बाल-अपराध की समस्या को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिल सकती है।

अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह बाल सुधार गृहों में लागू की जा रही व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। यदि यह पाया जाता है कि वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण इन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तो उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। इससे सृजनात्मक क्षमता को अधिक व्यावहारिक, जीवनोपयोगी एवं प्रेरणादायक बनाया जा सकता है।

अंततः, इस अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि यह न केवल बाल-अपराधियों के जीवन को सुधारने की दिशा में योगदान देता है, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं समावेशी समाज के निर्माण में भी सहायक होता है। यह अध्ययन समाज को यह संदेश देता है कि प्रत्येक बालक, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है और समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है। अतः इस विषय पर किया गया शोध न केवल सृजनात्मक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण:-

शैलजा, डी., तिवारी, जी., दूबे, एस. के., एवं वर्मा, ए. के., (2023) ने “किशोर अपराध में वृद्धि के लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक कारक: एक समीक्षा” पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया है कि बाल-अपराध बहुआयामी समस्या है, जिसके विकास में, सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के अवसरो का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, माता-पिता की अपर्याप्त निगरानी, नशीले पदार्थ का प्रभाव तथा साथियों का नकारात्मक प्रभाव किशोरों में अपराधी व्यवहार को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों के रूप में सामने आए हैं।

सन, सी. (2024) ने “शैक्षिक वातावरण और किशोर अपराध के मध्य संबंध” का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार खराब शैक्षिक वातावरण, जैसे विद्यालय में संसाधनों की कमी, शिक्षकों का सहयोग न मिलना तथा अनुशासनहीन माहौल, बच्चों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो वे गलत संगति और असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही, शिक्षा तक सीमित पहुँच भी उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की संयुक्त भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक सहयोग और

उचित वातावरण मिलने पर बच्चों में अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है, जिससे किशोर अपराध में कमी लाई जा सकती है।

दत्त, ए., गर्ग, एम., नंदन, ए. एवं सिंह, ए. (2024) द्वारा किए गए अध्ययन “ किशोर अपराधियों की पारिवारिक एवं सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं ” में यह पाया गया कि बच्चों के व्यवहार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक-आर्थिक स्तर का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों का सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न होता है, उनमें आक्रामकता, असामाजिक व्यवहार और अपराध की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि आर्थिक अभाव, पारिवारिक तनाव, अभिभावकों की कम शिक्षा तथा असुरक्षित वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में असंतुलन और अपराध की ओर झुकाव बढ़ता है।

झांग, वाई. (2025) ने “ किशोर अपराध में योगदान देने वाले सामाजिक कारक तथा उसका प्रभाव ” पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि किशोर अपराध के पीछे प्रमुख रूप से नकारात्मक पारिवारिक वातावरण, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शिक्षा की कमी जैसे कारक जिम्मेदार होते हैं। जिन बच्चों को परिवार में उचित मार्गदर्शन, स्नेह एवं अनुशासन नहीं मिलता, ये गलत गतिविधियों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी और संसाधनों की कमी भी उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यदि ऐसे बच्चों को उचित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, परामर्श तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएँ, तो उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित किया जा सकता है।

चैधरी, आर. एवं खोखर, एम. (2025). ने “अपराधी एवं गैर अपराधी किशोरो में पालन-पोषण की शैली और हानिकारक सृजनात्मकता” पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अपराधी तथा गैर अपराधी किशोरो में पालन-पोषण की विभिन्न शैलियों और हानिकारक सृजनात्मकता के स्तर का अध्ययन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करना था। अध्ययन में किशोर अपराधियों तथा सामान्य किशोरो को सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि अपराधी किशोरी और गैर-अपराधी किशोरो की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अन्तर पाया जाता है। विशेष रूप से अपराधी किशोरो में ऐसी सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक दिखाई दीं जिनका प्रयोग नकारात्मक या हानिकारक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृजनात्मक क्षमता अपने आप में केवल सकारात्मक व्यवहार से जुड़ी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक पारिवारिक वातावरण के आधार पर उसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक दिशा में हो सकता है।

सिंह, एन., शर्मा, डी., शर्मा, के., एवं गुलजार, डी. (2026). ने “हरियाणा में किशोर अपराध पर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों व प्रभाव का अध्ययन” शीर्षक पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि किशोर अपराध को केवल किशोर के व्यक्तिगत व्यवहार या उसके व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम मानना उचित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। शोध में सामाजिक - आर्थिक कारकों और किशोर अपराध के विभिन्न स्वरूपों के मध्य सम्बंध को जाँच के लिए सांख्यिकीय परीक्षणों का प्रयोग किया गया। परिणामों से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक आय, शिक्षा, निवास क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ किशोर अपराध से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के सेवन जैसी परिस्थितियाँ भी अपराधपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण पायी गयीं।

समस्या कथन:-

“बाल-सुधार गृहों में रहने वाले बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन ” ।

चरों का परिभाषाकरण:-

- **बाल-सुधार गृह :-** बाल-अपराधियों में विद्यमान गुणों को विकसित करने, उनकी ऊर्जा का उचित दिशा में प्रयोग करने एवं उनमें विद्यमान सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर बाल सुधार गृह (किशोर सदन) स्थापित किये गये हैं। इनमें बाल अपराधियों को शिक्षित करने, विभिन्न खेलों में परम्परागत करने एवं आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने हेतु विभिन्न रचनात्मक कार्यों को सिखाने की व्यवस्था की गई है और बाल-सुधार गृह से तात्पर्य सरकार द्वारा संचालित वे बन्दीगृह, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के बाल-अपराधियों को रखा जाता है।

- **बाल-अपराधी :-** बाल-अपराध वह व्यवहार है, जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विपरीत होता है और जिसे समाज द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि वह प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अपराध कहलाता है। यदि वही व्यवहार 18 वर्ष से कम आयु का बालक करता है तो बाल-अपराध कहलाता है और उसे करने वाले को बाल-अपराधी की संज्ञा दी जाती है।
- **सृजनात्मक क्षमता :-** सृजनात्मक क्षमता से तात्पर्य उपरिवर्णित बाल-अपराधियों की मानसिक शक्ति से है, जिसके द्वारा वे स्वयं को विभिन्न माध्यमों से जैसे- वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कलाकार अथवा कवि आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। सृजनात्मक क्षमता के अन्तर्गत व्यक्ति परिकल्पित घटनाओं के विषय में अत्यधिक सम्भावनाओं के विषय में चिन्तन करता है। यह एक प्रभावपूर्ण चिन्तन है।
- **सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति :-** सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति से तात्पर्य उस स्थिति के मापन से है, जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है। उसका रहन-सहन और आर्थिक स्थिति क्या है। इन सभी का मूल्यांकन उसके परिवार की प्रतिमाह आय, आय के स्रोत, उसका तथा परिवार की स्थिति, आवास का विवरण, वाहन तथा सवारी सम्बन्धी सुविधाएँ, घरेलू साज-सज्जा, रसोईघर में प्रयोग होने वाले उपकरण की सामान्य जानकारी तथा पास-पड़ोस की शैक्षिक स्थिति के आधार पर किया जाता है

अध्ययन के उद्देश्य :-

- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले नगरीय बाल-अपराधी बालकों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य सह-सम्बन्ध का अध्ययन करना।
- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले ग्रामीण बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले नगरीय बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले ग्रामीण बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

प्रतिदर्श:- वर्तमान शोध हेतु 110 नगरीय एवं 100 ग्रामीण बाल अपराधियों को शामिल किया गया है।

उपकरण :-

- बाल सुधार गृह में रहने वाले बाल अपराधियों के सृजनात्मक क्षमता की जाँच के लिए बॉकर मेंहदी द्वारा निर्मित 'सृजनात्मक क्षमता परीक्षण' का प्रयोग किया गया है।
- बाल सुधार गृह में रहने वाले बाल अपराधियों के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की जाँच के लिए प्रो.राजेश सिंह द्वारा निर्मित 'सामाजिक आर्थिक परिस्थिति प्रश्नावली' का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का संग्रह :- प्रस्तुत शोध हेतु आँकड़ों के संकलन के लिए गोरखपुर मण्डल में स्थित बाल सुधार गृहों में रहने वाले 210 बाल अपराधियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया।

परिकल्पनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या:-

तालिका संख्या :- 1

बाल सुधार गृह में रहने वाले नगरीय बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध का विश्लेषण एवं व्याख्या:-

नगरीय बाल-अपराधी	संख्या	सहसंबंध	सार्थकता का स्तर
सृजनात्मक क्षमता	110	0.42	0.01 पर सार्थक
सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति			

व्याख्या:- तालिका संख्या 1 में बाल सुधार गृहों में रहने वाले नगरीय बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध को दर्शाया गया है। दोनों के मध्य सहसम्बन्ध का मान 0.42 प्राप्त हुआ है। प्राप्त मान दोनों के बीच धनात्मक सहसम्बन्ध को प्रदर्शित करता है। जिससे सिद्ध होता है कि बाल सुधार गृहों में रहने वाले नगरीय बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता का उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

तालिका संख्या -2

बाल सुधार गृह में रहने वाले ग्रामीण बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध का विश्लेषण एवं व्याख्या:-

ग्रामीण बाल-अपराधी	संख्या	सहसंबंध	सार्थकता का स्तर
सृजनात्मक क्षमता	100	0.36	0.01 पर सार्थक
सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति			

व्याख्या:- तालिका संख्या 2 में बाल सुधार गृहों में रहने वाले ग्रामीण बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सम्बन्ध को दर्शाया गया है। दोनों के मध्य सहसम्बन्ध का मान 0.36 प्राप्त हुआ है। प्राप्त मान दोनों के बीच धनात्मक सहसम्बन्ध को प्रदर्शित करता है। जिससे सिद्ध होता है कि बाल सुधार गृहों में रहने वाले ग्रामीण बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता का उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष:-

- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले नगरीय बाल-अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।
- बाल-सुधार गृहों में रहने वाले ग्रामीण बाल अपराधियों की सृजनात्मक क्षमता एवं उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

- शैलजा, डी., तिवारी, जी., दूबे, एस. के., एवं वर्मा, ए. के., (2023). किशोर अपराध में वृद्धि के लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक कारक: एक समीक्षा, जर्नल ऑफ कम्प्यूनिटी मोबिलाइजेशन एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट, 17(4), 1065-1069

2. सन, सी. (2024). शैक्षिक वातावरण और बाल-अपराध के मध्य सम्बन्ध पर सारांश रिपोर्ट, सोशल साइंसेज एंड चाइल्डहुड, 5(1),37-46
3. दत्त, ए., गर्ग, एम., नंदन, ए., एवं सिंह, ए. (2024). बाल-अपराधियों की पारिवारिक एवं सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सोशल डेवलपमेंट, 7(3),302-310
4. झांग, वाई. (2025). बाल-अपराध में योगदान देने वाले सामाजिक कारक और उनका प्रभाव, कम्युनिकेशंस इन ह्यूमैनिटीज रिसर्च, 53(1),8-13
5. चैधरी, आर. एवं खोखर, एम. (2025). अपराधी एवं गैर अपराधी किशोरो में पालन-पोषण की शैली और हानिकारक सृजनात्मकता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलाजी, 13(3),3283-3288
6. सिंह, एन., शर्मा, डी., शर्मा, के., एवं गुलजार, डी. (2026). हरियाणा में किशोर अपराध पर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों व प्रभाव का अध्ययन, जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक एप्लीकेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, 15(3),307-317